न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 41/2017 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00188

उनवान

रामप्रमोद पुत्र चूरामनि जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जारह तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
.....अपीलाण्ट

बनाम

1. लालबहादुर पुत्र भगवती प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जारह तहसील राजाखेडा।
..... असल रैस्पोडेण्ट

2. देवेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई
3. रामहरि
4. रामकुमार } पिसरान भगवती प्रसाद } जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जारह तह0 राजाखेडा।
5. सत्यराम
6. पार्वती
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा।

.....तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.02.2017 प्रकरण संख्या क्रमशः 75/2015 शीर्षक लालबहादुर बनाम देवेन्द्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा।

अभिभाषकगण :–

1. श्री विनोद कुमार भार्गव, निशान्त भार्गव अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री अशोक सक्सैना अभिभाषक रैस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–05.04.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/असल रैस्पो0 की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी उभयपक्षकारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है। परन्तु अब पक्षकारान का शामिल काश्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। आये दिन फसल को लेकर झगडा हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई दिनांक 18.07.2016 को प्रारम्भिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार राजाखेडा से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषकगण उपस्थित आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार राजाखेडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु नियुक्त किया था, तो तहसीलदार का यह कर्तव्य था कि वह सभी पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते। परन्तु उनके द्वारा पक्षकारान को ना तो कोई सूचना दी गयी तथा ना ही तहसीलदार स्वयं मौके पर गये। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा रैस्पो0 से साज कर बिना मौके पर जाये तैयार किये गये हैं, जो विधि विरूद्ध है। विभाजन प्रस्ताव भी मौके की स्थिति से भिन्न है। वस्तुतः विवादित आराजी के मध्य से सडक निकली हुयी है। परन्तु विभाजन प्रस्तावो में ना तो सडक ही दर्शायी है तथा ना ही सडक में गया रकवा कम किया गया है। विवादित आराजी में देवताओ के चबूतरे बने हैं। जिसको भी ध्यान में नहीं रखा गया है। लिहाजा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया। जिसकी कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गयी। आदेशिका में अपीलाण्ट की उपस्थिति गलत दर्शायी गयी है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2015 पेज 482, डीएनजे 2020 पेज 1236, आरआरटी 2021(1) पेज 532, आरबीजे 2017 पेज 299 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, पुनः पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन के नियमो की पालना करते हुये, विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर, पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। जबकि विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना आज्ञापक है। इसके अलावा उक्त विभाजन प्रस्तावो पर किसी भी पक्षकार की उपस्थिति एवं सहमति के हस्ताक्षर भी उपलब्ध नहीं है। लिहाजा नियम एवं न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में उक्त विभाजन प्रस्तावो को उचित नहीं ठहराया जा सकता। दौराने बहस अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक की यह भी आपत्ति रही है कि मौके पर विवादित आराजी में से होकर सडक निकली है एवं अपीलाण्ट के कुर्रे में दी गयी जमीन, सडक में ज्यादा गयी है। परन्तु विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय उक्त सडक को नक्शें में नहीं दर्शाया है। अतः न्यायहित में अपीलांट की उक्त आपत्ति का निस्तारण भी किया जाना आवश्यक है, जो अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर ही हो सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर चूंकि प्रकरण में विभाजन के नियमो की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारो को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2022 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.04.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

भरतपुर
कैम्प–धौलपुर